

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (QL I)/2017/1720 दिनांक 20.11.2017


Corrigendum

निदेशालय की नीलामी विज्ञप्ति क्रमांक: निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (QL I) /2017/1175 दिनांक 26.9.2017 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. बिन्दु संख्या 'अ' के बिन्दु संख्या '2' में अंकित "ई-नीलामी में प्रिमियम की बोली ली जायेगी जो कि क्वारी लाईसेंस के वार्षिक किराये के प्रतिशत के रूप में होगी। प्रिमियम की राशि में, वार्षिक किराये की दरों में वृद्धि होने पर उसी अनुपात में वृद्धि होगी।" के स्थान पर "ई-नीलामी में प्रिमियम की बोली राशी रूप्यों में ली जायेगी जो कि क्वारी लाईसेंस के वार्षिक किराये के अतिरिक्त प्रतिवर्ष देय होगी। वार्षिक किराये की दरों में वृद्धि होने पर उसी अनुपात में प्रिमियम की राशि में भी वृद्धि होगी।" पढा जावे।
2. प्रिमियम राशि के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार संक्षय की स्थिति बनने के कारण विज्ञप्ति दिनांक 26.9.2017 में अंकित प्लॉटों हेतु बोली प्रस्तुत करने की समयावधि में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है :-

| प्रथम चरण में बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय | द्वितीय चरण हेतु योग्य पाये गए बोलीदाताओं को सूचित करने की दिनांक | द्वितीय चरण में बोली प्रस्तुत करने की दिनांक | द्वितीय चरण में बोली प्रस्तुत करने का समय |
|--|---|--|---|
| 4.12.2017 8.00 पीएम तक | 12.12.2017 तक | 14.12.17 | समय पूर्वानुसार |

नोट :- नवीन कार्यक्रम अनुसार ऐसे बोलीदाता जिसने पूर्व में बोली नहीं लगाई हो, वह भी ई-नीलामी में भाग ले सकेगा। नीलामी विज्ञप्ति दिनांक 26.9.2017 में अंकित प्रथम चरण में बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय के अनुसार जिन बोलीदाताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेज (तकनीकी बिड) एवं आई.पी.ओ. अपलोड कर दिया गया है तो उन्हें बिन्दु संख्या 1 में अंकित संशोधन के क्रम में पुनः दस्तावेज (तकनीकी बिड) एवं आई.पी.ओ. प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा; परन्तु ऐसे आवेदकों को नीलामी विज्ञप्ति दिनांक 26.9.2017 के क्रम में जमा कराई गई नीलामी शुल्क राशि रूपया 7,500/- तथा बिड प्रतिभूति राशि पुनः जमा कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।




(डी.एस. मारु)

निदेशक

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (QL I)/2017/1721/22 दिनांक 20.11.2017
प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का वेबसाईट पर प्रकाशन तत्काल किया जाना सुनिश्चित करावे :-

1. Sh. Dinesh Kumar Meel, Dy. Manager, MSTC LTD. Jaipur
2. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., के.का., उदयपुर



(ओ.पी. काबरा)

अधीक्षण खनि अभियन्ता (नी.प्र.)